

आयालय तहसीलदार / नायब तहसीलदार बाडी

मु.नं. 68/2018

निर्णय दिनांक 25/11/2018

उनवान:- अकार कान्ह कान्हिहं

आज पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पटवारी

हल्का ने इस आशय के साथ रिपोर्ट पेश की है कि आराजी

खसरा नम्बर 440/673 रकबा 1-10 किरम कारनी के

बारे ग्राम फाड़कुल पर कान्हिहं पुत्र हरीसिंह

जाति कोथ निवासी फाड़कुल तहसील बाडी

ने सम्बर 440/673 रबी/खरीफ में फसल सरसों कर

अतिक्रमण किया है। दर्ज रजिस्टर पर अतिक्रमी को नियमानुसार अधि 1956 के

धारा 91 एल. आर. एक्ट के तहत नोटिस जारी किया गया। अतिक्रमी नही आ

पटवारी हल्का ने उपस्थित अतिक्रमण होना बताया।

अतिक्रमी कान्हिहं पुत्र हरीसिंह

जाति कोथ निवासी फाड़कुल को आ. ख. नं. 440/673

रकबा 1-10 (कै) वारे ग्राम फाड़कुल से तुरन्त प्रभाव से

बेदखसल किया जाता है तथा लगान का 50 गुना शास्ती राशि 338/- (अक्षर)

रूपेय तीन हज़ार रु. आरोपित की जाती है। पैनल्टी वसूली एवं फसल नीलामी हेतु पटवारी हल्का एवं भू. अभि. निको लिखा जावे। T R A को मतालवा कायम कराया जावे। इजराय पत्रावली पृथक से संधारित की जाकर पत्रावली दाखिल दफ्तर है।

फैसला आल दिनांक 25/11/2018 को

खुले इजलास पढकर सुनाया गया।

338-6
भाग नाक का अंक
रजि. के पृष्ठ कपी
की का संख्या
दिनांक 24/11/18
इस पत्रावली को
पटवारी बाडी

तहसीलदार
तहसील बाडी (घालपुर) राज.